

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक एफ 3(9)वन/2010

जयपुर, दिनांक : 26.04.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा भीलवाडा तहसील में स्थित आरक्षित वनखण्ड हमीरगढ़, जिसका क्षेत्रफल 566.15 हैक्टेयर है तथा जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 2(4)वन/2012 दिनांक 21.06.2012 द्वारा आरक्षित वनखण्ड घोषित किया गया था, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में वर्णित हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए हमीरगढ़ संरक्षण आरक्षित (conservation reserve) घोषित करती है। जिसे भविष्य में हमीरगढ़ संरक्षण आरक्षित के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची

उत्तरी सीमा	आरक्षित वनखण्ड हमीरगढ़ की उत्तरी वन सीमा नजदीक ग्राम दर्री का दक्षिणी भाग।
पूर्वी सीमा	आरक्षित वनखण्ड हमीरगढ़ की पूर्वी सीमा नजदीक ग्राम काबरा का पश्चिमी भाग एवं मंगरोप-हमीरगढ़ सड़क का दाहिना भाग।
दक्षिणी सीमा	आरक्षित वनखण्ड हमीरगढ़ की दक्षिणी वन सीमा नजदीक ग्राम हमीरगढ़ का उत्तरी भाग।
पश्चिमी सीमा	आरक्षित वनखण्ड हमीरगढ़ की पश्चिमी वन सीमा नजदीक ग्राम बावरियों की झोपडियों एवं बराठिया का पूर्वी भाग से सटा हुआ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मो ताली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव / मंत्र
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation, Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.04.26 16:44:32 IST
Reason: Approved

3596
11.5.23
Rajasthan
4/5
Office

ESZ
03.05.23

Ga
15
10/5

5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को Reams के माध्यम से गजट में प्रकाशित करावधाने का श्रम करें
8. संभागीय आयुक्त,.....
9. मुख्य वन संरक्षक,
10. जिला कलक्टर,
11. उप वन संरक्षक,
12. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग-8
13. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी (वन)

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित हैं :-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़ी, नई दिल्ली।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

विशेषाधिकारी (वन)